# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

**(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)**

राजस्व आवेदन संख्या 169/2020 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| बुधदान पुत्र सुरतदान<br>जाति चारण, निवासी करणीसर<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर | | 1. वैणीदान पुत्र सुरतदान<br>2. कमलाकंवर पत्नी बुधदान<br>3. किशनदान पुत्र पीरदान<br>जाति चारण, निवासी करणीसर<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>4. केवलाराम पुत्र मालाराम<br>5. खेमाराम पुत्र मालाराम<br>जाति जाट, निवासी धने का तला<br>तहसील व जिला बाड़मेर<br>6. खेतुदेवी पत्नी अजाराम<br>जाति जाट, निवासी गिड़ा<br>तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर |

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी – श्री बृजमोहन कुमावत।

2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 3 – श्री हरिराम चौधरी।

3. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 6 – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

## –:: आदेश ::–

दिनांक : 05.07.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 524/192 रकबा 1.3193 हैक्टेयर मौजा करणीसर, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 669/194, 522/192, 626/192, 700/668, 611/194 रकबा क्रमशः 15.01, 9.03, 12.17, 51.00, 63.10 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर प्रार्थी को रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीनी संख्या 6 की ओर से रास्ता कटाण बाबत् जवाब पेश कर आपत्ति की गई है। विप्रार्थी संख्या 4 व 5 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी तक नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 611/194, 700/668, 626/192, 522/192 रकबा क्रमशः 10.2790, 8.2556, 2.0801, 1.4811 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0890, 0.0566, 0.1780, 0.1214 हैक्टेयर कुल रकबा 0.4450 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। विप्रार्थी संख्यां 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार रास्ता कटाण का निवेदन किया गया है। इसके विपरीत विप्रार्थीनी संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने एवं हमारी भूमि के टुकड़े करने के आश्य से पेश करने तथा अन्य विकल्प अपने भाईयों की खातेदारी भूमि से मौजुद होने पर भी उक्त खसरा नम्बर से रास्ता प्रस्तावित नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251ए की समस्त आर्हताएं पूर्ण नहीं करता है। अतः प्रार्थी के आवेदन का मय खर्चा व हर्जा के खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 611/194, 700/668, 626/192, 522/192 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो खातेदारी खसरे है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 611/194, 700/668, 626/192, 522/192 रकबा क्रमशः 10.2790, 8.2556, 2.0801, 1.4811 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0890, 0.0566, 0.1780, 0.1214 हैक्टेयर कुल रकबा 0.4450 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी तक अन्य विकल्प होने के संबंध में अंकन नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं एकमात्र विकल्प है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है, जबकि विप्रार्थीनी संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा अन्य विकल्प उपलब्ध होने का कथन करते हुए दस्तावेज पेश किये जिसमें प्रस्तावित किया जाने वाला रास्ता खातेदारी भूमि को दो भागों में बांटता है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 524/192 रकबा 1.3193 हैक्टेयर मौजा करणीसर, पटवार मण्डल धारवीकला तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 611/194, 700/668, 626/192, 522/192 रकबा क्रमशः 10.2790, 8.2556, 2.0801, 1.4811 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0890, 0.0566, 0.1780, 0.1214 हैक्टेयर कुल रकबा 0.4450 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner